## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
## पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

| [illegible] मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| [illegible]/2017 | धारा 111, 128 RLRA | 05.12.2017 | 26.03.2019 |

ललितकुमार बागला पुत्र श्रवणकुमार बागला जाति बागला निवासी मैन मार्केट, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) मार्फत मुख्त्यारआम धारक कन्हैयालाल पुत्र जीवणमल जाति प्रजापत निवासी हाल वार्ड नं. 43, सुभाष चौक, चूरू जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. श्योलाराम उर्फ श्योकरण महला पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी खासौली तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—अप्रार्थीगण—

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट 1956</u>

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री श्योलाराम पूनिया अप्रार्थी पक्ष

### आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट 1956 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 1119/881 तादादी 0.8979 हैक्टेयर 3 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा खासौली तहसील व जिला चूरू के हैं। प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 शामिल प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2017 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चूरू को दिया गया था। प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करके दिनांक 20.02.2017 को पटवारी हल्का खासौली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें प्रार्थी की भूमि कम पाई गई जो कि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थी एक व्यापारी है जो कि काम के सिलसिले में बाहर रहता है जिसका मुख्त्यार श्री कन्हैयालाल है। जिसका कृषि भूमि का विभाजन हो गया है मगर मौके पर कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर—जर हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खेत ख.नं. 1119/881 तादादी 0.8979 हैक्टेयर 3 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा खासौली का सही सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस—पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान सम्बन्धित विवाद ना रहे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा की जावेगी। यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित स्टाम्प शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं ख.नं. 1119/881 तादादी 0.8979 हैक्टेयर 3 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा खासौली तहसील चूरू एवं जिला चूरू का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री श्योलाराम पूनिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कियाजिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी सं. 1 का नाम श्योराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति जाट निवासी खासौली है जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में श्योलाराम उर्फ श्योकरण महला गलत लिखा है इस नाम का बेगाराम का कोई पुत्र नहीं है एवं राजस्व रिकार्ड की मद सं. 1 के अनुसार होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 बिल्कुल ही गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि नपती होती तो अप्रार्थी को सूचना देते। अप्रार्थी को नाप तौल की कोई भी सूचना व जानकारी नहीं है इसलिए अस्वीकार है। यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के भाई सांवरमल से अपने पूरे हिस्से की कृषि भूमि सन् 2006 में खरीदी थी उस वक्त अप्रार्थी विदेश गया हुआ था, यहां गांव में मौजूद नहीं था। सांवरमल ने अपनी उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को विक्रय कर दी थी व पटवारी व गांव में मुखियान के समक्ष नाप तौल कर विक्रय कर दी। नापतोल करने के बाद में चारों तरफ कूंटों में ईंटों द्वारा गद चिनवा कर तथा चारों तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर दी गई। उक्त कृषि भूमि पर ललितकुमार बागला व श्रवणकुमार बागला के नाम का बोर्ड लगा दिया गया जो आज भी मौके पर मौजूद है प्रार्थी ने अप्रार्थी को परेशान करने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज करने के काबिल है। श्रीमान् जी किसी के द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 व 5 पूर्णतः झूठ होने के कारण इसकी आवश्यकता ही नहीं है इसलिए अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 कानूनी होने के कारण जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब के विशेष आपत्ति में अंकित किया कि प्रार्थी ने सन् 2006 में अप्रार्थी के भाई सांवरमल से उक्त कृषि भूमि खरीदी थी उस वक्त पटवारी द्वारा नाप तोल करवा कर व गांव के मौजीज व्यक्तियों द्वारा चारों कूंटों पर ईंटों द्वारा बजरी सीमेण्ट से पक्के गद बनवा कर चारों तरफ पट्टियां लगाकर पांच कंटीले तारों द्वारा तारबन्दी कर दी व बीचोंबीच अपने नाम का बोर्ड लगवा दिया है जो आज भी मौजूद है। उक्त भूमि पूरी तरह से सुरक्षित पड़ी है तथा प्रार्थी द्वारा जमीन खरीदी उस वक्त अप्रार्थी सं. 1 मौजूद नहीं था कमाने खाने विदेश गया हुआ था। अप्रार्थी सं. 1 का भाई सांवरमल ने अपने हिस्से की पूरी भूमि नाप तोल कर विक्रय कर दी। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ने भी सन् 2007 में अनिता को 6 बीघा 1

उपखण्ड अधिक
चूरू

इस जमीन के चिपती विक्रय कर दी। यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि चूरू–बिसाउ स्थित होने से इस जमीन के पास पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि है दो तरफ सुलतानदान की भूमि है तथा एक तरफ अनिता की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त जमीन के चारों में दूसरे ही पड़ौसी हैं अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी को पक्षकार गलत रूप से परेशान कर रहा है मौके पर उक्त जमीन में पत्थरगढी व तारबन्दी की हुई मौजूद है बीच में प्रार्थी के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी के साथ झूठे मुकदमे करवा कर शान्ति भंग करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने के बाद पत्रावली काफी समय तक बहस में लम्बित रही। इस दौरान वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से बहस से पूर्व वादगत कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति जवाब हेतु वकील प्रार्थी को दी गई। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब ना देकर सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दावा नहीं होकर कृषि भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र है जिसमें मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं होने से प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट बाबत सारहीन पाया जाने से इसी स्तर पर खारिज किया गया एवं पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी का पड़ौसी खातेदार नहीं है प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी की हुई है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पेश दस्तावेज का अवलोकन एवं उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम खासौली ख.नं. 1119/881 तादादी 0.8979 हैक्टेयर में वर्तमान में प्रार्थी ललितकुमार बागला पुत्र श्रवणकुमार बागला जाति अग्रवाल निवासी चूरू खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार, चूरू को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2017 में पटवारी हल्का खासौली द्वारा प्रार्थी को करवाये गये सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2017 में अंकित है कि ''श्रीमान् जी आपके आदेशानुसार रोही ग्राम खासौली के ख.नं. 1119/881 तादादी 3.11 बीघा व खेत ख.नं. 1120/881 तादादी 4.00 बीघा के मौके पर पहुंचकर जरीब चलाकर प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर भूमि कम है।'' नकल नक्शा ख.नं. 1119/881 रोही खासौली के अनुसार उक्त कृषि भूमि का विभाजन होना प्रतीत होता है। उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिसका प्रार्थी सीमा ज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब व बहस में आपत्ति होने का कथन करते हुए पहले से ही उक्त भूमि की पत्थरगढी की हुई मौजूद होना अंकित किया है तथा वर्तमान में अपने आपको प्रार्थी का पड़ौसी नहीं होना बताया है परन्तु अपने जवाब कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में केवल मौखिक कथन के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी वादगत का खातेदार काश्तकार है इसलिए नियमानुसार कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी काश्त की भूमि का उचित शुल्क जमा करवा कर विधिवत सीमा ज्ञान व करवा सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना में प्रार्थी नियमानुसार खर्चा वहन करने को तैयार है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र करने से किसी अन्य खातेदार/काश्तकार या राज्य सरकार को कोई हानि होने नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रार्थना पत्र से किसी पक्षकार के हक व अधिकारों नहीं होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट का उचित होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जावे एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित की जाकर वादगत कृषि भूमि ख0नं0 1119/881 तादादी 0.8979 हैक्टेयर में रोही ग्राम खासौली तहसील चूरू की नपती की जाकर सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 26.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू